

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:- 430542 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 29.06.2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-09-19/18

ग्रामीण विकास विभाग के निम्नलिखित महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी (क्रमांक-3 एवं 4 पर अंकित पदाधिकारियों को छोड़कर) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित जिला में उनके मूल पद अर्थात् महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापन कर कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगे एवं क्रम संख्या-3 एवं 4 में अंकित पदाधिकारी को कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित जिला का नाम	प्रस्तावित पद
1	2	3	4	5	6
1	श्री पुनम शाही	गोपालगंज	म.प्र.पदा. सह स.प.पदा., सिवान	गोपालगंज	APO का प्रभार
2	श्रीमती रोजी रानी	दरभंगा	म.प्र.पदा. सह स.प.पदा., वैशाली	पटना	APO का प्रभार
3	श्रीमती पुनम कुमारी	पटना	म.प्र.पदा., पुनपुन, पटना	पटना	APO का प्रभार
4	श्रीमती उषा कुमारी	सारण	म.प्र.पदा., मसौड़ी, पटना	पटना	APO का प्रभार (इनकी प्रतिनियुक्ति माह-फरवरी, 2020 से प्रभावी होगी)
5	श्रीमती सुनीता साहु	बेगूसराय	म.प्र.पदा. सह स.प.पदा., पूर्णियाँ	मुंगेर	APO का प्रभार
6	श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा	नालन्दा	प्र.पदा. संप्रति मुख्यालय में प्रतिनियुक्त	नवादा	APO का प्रभार

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. क्रम संख्या-4 पर अंकित पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना में माह-फरवरी, 2020 से प्रभावी होगी।

4. नव पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर संबंधित जिला में योगदान करेंगे तथा जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ रिक्त प्रखंड में एक सप्ताह के अन्दर इनका पदस्थापन कर विभाग को संसूचित करेंगे।

5. प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस अतिरिक्त प्रभार के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और न ही इनका किसी प्रकार का एतदर्थ दावा मान्य होगा। सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी व्यवस्था को विभाग के अगले आदेश से किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

6. नव पदस्थापित पदाधिकारी के माह जुलाई, 2019 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा।

(राधा किशोर झा)

सरकार के अपर सचिव

जापांक 430542

दिनांक:- 29.06.2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-09-19/18

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित पदाधिकारी /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 6 एवं 11, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

जापांक 430542

दिनांक:- 29.06.2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव